मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3330
12.07.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3330. श्री सुनील कुमार पिंटू :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में बाढ़ से प्रभावित सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, भूक्षरण नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय, राज्यों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एनएपीसीसी) को क्रियान्वित कर रही है जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, सतत पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी में सभी जलवायु संबंधी कार्यवाइयों के लिए एक समग्र कार्यढ़ांचा उपलब्ध कराया गया है। तैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार सहित) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्यों के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी की तर्ज पर अपनी-अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार कर ली हैं। इन एसएपीसीसी में, अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा दी गई है। बिहार सरकार ने अपनी एसएपीसीसी में बाढ़ प्रभावित जिलों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को चिन्हित किया है तथा इन प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे अनुकूलन और उपशमन संबंधी उपाय विनिर्दिष्ट किए हैं।

*****